

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2016/38

दायर दिनांक 17.03.2016

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. मुमताज खां पुत्र अलीमखां, जाति-कायमखानी, निवासी-छापरीखुर्द, तह-डीडवाना, जिला-नागौर (राजस्थान)	1. नवाब खां पुत्र अस्तअली खां 2. समीमवानो पत्नी अस्तअलीखां 3. मांगी बानो पत्नी सादुलखां 4. अस्तअली खां पुत्र मिश्रीखां 5. मुस्ताक खां पुत्र मुकारबखां 6. अमीन बानो पत्नी मुकारबखां 7. भंवरूखां पुत्र सम्मनखां 8. अलीमखां पुत्र सम्मनखां 9. फैजूखां पुत्र सम्मनखां 10. हनीफखां पुत्र सम्मनखां 11. भंवरूखां पुत्र हुसैनखां 12. नियाजखां पुत्र हुसैनखां 13. भंवरीबानो पत्नी हुसैनखां 14. फूल मोहम्मद पुत्र करीमखां 15. हाकम अली पुत्र अलीमखां 16. मुकारबखां पुत्र अलीमखां खोखर 17. ताजुखां पुत्र समदरखां समस्त जाति-कायमखानी, निवासीयान-छापरी खुर्द, तह-डीडवाना, जिला-नागौर। 18. नैक मोहम्मद पुत्र मुमताज 19. इरफान पुत्र मुमताज 20. सफी पुत्र मुमताज 21. जरीना बानो पत्नी मुमताज 22. मुनीर पुत्र निजामुदीन 23. सौकत पुत्र निजामुदीन 24. बुन्दु खां पुत्र मांगीलाल 25. कयुम पुत्र मांगीलाल 26. फूल मोहम्मद पुत्र मांगीलाल 27. लियाकत पुत्र मांगीलाल समस्त जाति-मुसलमान नाई, निवासीयान-छापरी खुर्द, तह-डीडवाना, जिला-नागौर। 28. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा डीडवाना 29. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना।

बनाम्

2-2  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

राजस्व-वाद, संख्या-2016/38  
दायर दिनांक 17.03.2016 निर्णय दिनांक 19.06.2017  
मुमताज खां बनाम नवाब खां, वगैरा।

दावा बाबत  
बंटवारा व दिलाने कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित-


1. वादी मुमताज खां स्वयं
2. श्रीमती सन्तोष जाजू अधिवक्ता प्रतिवादीगण व समस्त प्रतिवादीगण

--:: निर्णय ::--

दिनांक 19.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी ने यह वाद बंटवारा दिलाने कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का किया है। खेत ख.न. 56 रकबा 9 बीघा व खेत ख.न. 79 रकबा 4.09 बीघा भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी ने अपने वाद में बताया कि प्रतिवादीगण ने समय-समय पर वादी की खातेदारी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया। तथा जबरन किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे तथा कानूनी रूप से बंटवारा किया जावे तथा साथ में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया। जिसमें बताया गया कि खेत खसरा नम्बर 56 रकबा 9 बीघा व खेत खसरा नम्बर 79 रकबा 4 बीघा 9 बिश्वा भूमि वादी की अकेले की खातेदारी की भूमि थी। वादी ने इन दानों खसराओं में से समय-समय पर कई वर्षों पूर्व ही प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि विक्रय कर दी थी। तथा उसी के अनुसार ही प्रतिवादीगण अपनी-अपनी भूमि पर काबिज हैं तथा अपने-अपने रहवासी मकानात बनाये हुए हैं। वादी ने अपने दावे में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उसके किस भाग पर किस प्रतिवादीगण ने कबसे अवैध कब्जा कर रखा है तथा किससे से क्या अनुतोष चाहिए? प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त भूमि करीब 30-40 वर्ष पूर्व खरीदी गई तथा 30-40 वर्ष से ही इस भूमि पर रहवासी मकान बनाकर काबिज हैं। यदि वादी बेदखली का वाद लाता तो 3 वर्ष के अन्दर लाता लेकिन वादी ने गलत वाद हेतुक के आधार पर वाद किया है तथा गलत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। इसलिए वादी का वाद अन्दर मियाद व श्रवणाधिकार का नहीं होने के कारण वाद नहीं चल सकता। यदि वादी प्रतिवादीगण को रहवासी मकानात से बेदखल करना चाहता है तो सिविल न्यायालय में वाद पेश करके प्रतिवादीगण को बेदखल करता। वादी ने उक्त विवादित भूमि प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर विक्रय की है तथा उन सभी में आसे-पासे बताकर विक्रीत की है। इसलिए बिना किसी आधार के बंटवारे का वाद भी चलने योग्य नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण के द्वारा वादी का वाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

  
सहायक कलक्टर  
झिंजपाना

प्रतिवादीगण के प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया।

वादी ने स्वयं उपस्थित होकर बताया कि उक्त समस्त रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र फर्जी व कूटरचित हैं। तथा प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से रहवासी मकानात बनाकर कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने समस्त दस्तावेजात को पेश कर बताया कि उक्त विवाहित भूमि वादी मुमताज खां के अकेले की खातेदारी की भूमि थी। जिसको समय-समय पर वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को विक्रय की गई है।

दिनांक 16.01.1980 वादी ने हुसैनखां, अस्तअलीखां व मुकारबखां को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय के विक्रय कर दी। दिनांक 30.07.2007 को शमीमबानो पत्नि अस्तअली खां को, दिनांक 17.08.1979 को सम्मनखां पुत्र मेहरावखां को, दिनांक 17.08.1979 को सादुलखां पुत्र सुमेरखां को दिनांक 27.03.1996 को नवाबखां पुत्र अस्तअलीखां को, दिनांक 27.03.1996 को मांगीलाल पुत्र जमालुदीनखां को, दिनांक 16.06.1980 को अलीम खां पुत्र मेहराबखां को, दिनांक 08.05.1980 को अलीमखां को, दिनांक 14.08.1979 को सम्मनखां को, दिनांक 24.12.1979 को फूलमोहम्मद पुत्र करीमखां को विक्रय कर दी थी। प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 23 मुनीरअहमद, ताजमोहम्मद वगैरह ने अपने समस्त कब्जे, उपयोग व उपभोग के रहवासी मकानात के विद्युत बिल वगैरह पेश किये। जिनसे यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण 30 से 40 वर्षसे अपने मकानात बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। तथा एक दूसरे विक्रय पत्र के आसे-पासे में भी प्रतिवादीगण का आपस में आसा-पासा पड़ौसी की हैसियत से लिखा गया है। उक्त समस्त विक्रय पत्र वादी द्वारा ही निष्पादित किये गये हैं। वादी के मन में अब लालच आ गया है। तथा प्रतिवादीगण से नाजायज रूप से पैसे ऐंठना चाहता है जो कदापि संभव नहीं है।

दौराने बहस प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने यह बताया कि जब वादी के द्वारा सन 1979 से लेकर 2007 तक समस्त प्रतिवादीगण को भिन्न-भिन्न समय में भूमि के विक्रय पत्र निष्पादित करवाये गये जिसमें वादी स्वयं ने उक्त सभी प्रतिवादीगण के अडौस-पड़ौस का उक्त विक्रय पत्रों में स्वयं उल्लेख किया है एवं भूमि स्वयं विक्रय कर दी है तो अब बंटवारे का प्रश्न ही नहीं रहा है तथा उसी के द्वारा विक्रीत भूमि पर प्रतिवादीगण वर्षों से काबिज हैं तथा अपने मकानात बनाकर रह रहे हैं। प्रतिवादीगण ने यदि अवैध रूप से कब्जा किया है तो रहवासी मकान से बेदखल कर कब्जा प्राप्ति का सिविल न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए क्योंकि इस न्यायालय को इस तरह के वाद को सुनने का एवं अनुतोष देने का अधिकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादी सं. 28 से गलत तथ्यों को पेश करके बैंक से लोन ले लिया जबकि वादी का उक्त सम्पूर्ण खसरे पर कब्जा ही नहीं है। वादी को कोई भी वाद हेतुक व वादाधार प्राप्त नहीं है। तथा दावा अन्दर मियाद नहीं होने, उक्त न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं होने के कारण दावा खारिज करने की प्रार्थना की गई।

पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट निम्बी कंला में पेश हुई। उभयपक्षकारान व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा

3-2  
राज्यक फलक्टर  
डी.ड.बाना

राजस्व-वाद, संख्या-2016/38  
 दायर दिनांक 17.03.2016 निर्णय दिनांक 19.06.2017  
 मुमताज खां बनाम नवाब खां, वगैरा।

प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि वादी के द्वारा उक्त विवादित खसरों को सन 1979 से लगातार जरिये विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय किया गया है। और सभी विक्रय पत्रों में वादी के द्वारा अपने विक्रीत क्रेतागण के नामों का आसे-पासे में उल्लेख कर बेचान किया गया है। और प्रतिवादीगण के करीब 30-40 वर्षों से रिहायशी मकानात बने हुए हैं। यदि वादी के द्वारा किसी भी विक्रय पत्र में एक दूसरे के आसे-पासे नहीं बताकर विक्रय पत्र निष्पादित किये जाते तो अवश्य ही बंटवारा करना लाजमी होता लेकिन ऐसा कोई भी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

वादी ने अपने वाद में एवं बहस के दौरान यह बताया कि प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया तथा रिहायशी मकानात बना लिये हैं। एवं यह सभी फर्जी बेचाननामों हैं। समस्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि सभी प्रतिवादीगण कई वर्षों से उक्त भूमि पर मकानात बनाकर निवास कर रहे हैं। वादी के कथनानुसार यदि बेचाननामों फर्जी हैं तथा अवैध रूप से कब्जा कर मकानात बना लिये हैं तो वादी सिविल न्यायालय में बेदखली का एवं फर्जी बेचाननामों को निरस्त करवाने का वाद प्रस्तुत करता। इस न्यायालय को उक्त अनुतोष देने का एवं इस तरह के वाद सुनने का श्रवणाधिकार ही प्राप्त नहीं है। तथा ना ही उक्त दावा अन्दर मियाद है।

प्रतिवादीगण का यह तथ्य सही है कि वादी ने अपने वाद में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उसके विवादित भूमि के किस भाग पर किसने कब अवैध अतिक्रमण किया है तथा कब से मकानात बनाकर निवास करने लग गया है। एवं किस-किस से किस प्रकार का अनुतोष चाहिए। इस प्रकार वादी को कोई भी वाद हेतुक प्राप्त नहीं हुआ है। तथा ना ही वाद अन्दर मियाद पेश है तथा ना ही इस न्यायालय को रहवासी मकानात से बेदखली के वाद सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में डीएनजे 2017(1) राजस्थान पेज सं. 1 अनुवानी-अनन्तपालसिंह राजपूत बनाम सुमेरसिंह राजपूत व अन्य पेश की जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त नजीर में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "Civil procedure code, 1908 O.7,R,11, Sec. 151-Rejection of plaint- Even if the plaint is not strictly covered u/o 7, R,11, the same can be rejected u/s. 151 C.P.C.-Fivolous and Vexatious suit ought to be nipped in the bud at the earliest."


वादी को किसी प्रकार का वाद हेतुक व वादाधार प्राप्त नहीं है तथा ना ही दावा अन्दर मियाद है ना ही उक्त दावा उक्त न्यायालय के श्रवणाधिकार का है। इसलिए वादी का उक्त वाद खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

3-4  
 सहायक कलक्टर  
 डीउवानी


राजस्व-वाद, संख्या-2016/38  
दायर दिनांक 17.03.2016 निर्णय दिनांक 19.06.2017  
मुमताज खां बनाम नवाब खां, वगैरा।

—:: आदेश ::—

अतः प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वादी का वाद बाबत खेत खसरा नम्बर 56 रकबा 9 बीघा व खेत खसरा न. 79 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा मोजा-छापरी खुर्द का दावा बाबत बंटवारा व दिलाने कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
R.A.S.  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 19.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कैम्प निम्बी कंला में सुनाया गया।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
R.A.S.  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2016/38

दायर दिनांक 17.03.2016

वदी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. मुमताज खां पुत्र अलीम खां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0		1. नवाब खां पुत्र अस्तअली खां वगैराह जाति कायमखानी निवासीगण छापरी खुर्द वगैराह तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत  
बंटवारा व दिलाने कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 19.06.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई वादी मुमताज खां, व श्रीमती सन्तोष जाजू अधिवक्ता प्रतिवादीगण व समस्त प्रतिवादीगण की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वादी का वाद बाबत खेत खसरा नम्बर 56 रकबा 9 बीघा व खेत खसरा न. 79 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा मोजा-छापरी खुर्द का दावा बाबत बंटवारा व दिलाने कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प निम्बी कंला में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना